न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान ओंकार सिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – ....624..../2025
निर्णय दिनांक ..29/12/25............

ओंकार सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई पटवार हल्का मिखाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 502 खसरा सं. 1277/96 तादादी 2.3393 है0, खसरा नं. 1279/415 तादादी 2.8831 है0 में औंकारसिंह पुत्र सवाईसिंह है व अन्य दस्तावेजों में नाम ओंकार सिंह पुत्र सवाई सिंह है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में औंकारसिंह पुत्र सवाईसिंह के स्थान पर ओंकार सिंह पुत्र सवाई सिंह अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एलआर/2335 दिनांक 14.11.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों एवं पूछताछ के मुताबिक ओंकार सिंह पुत्र सवाई सिंह सही नाम है। अतः ग्राम चंगोई पटवार हल्का मिखाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 502 खसरा सं. 1277/96 तादादी 2.3393 है0, खसरा नं. 1279/415 तादादी 2.8831 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में औंकारसिंह की बजाय ओंकार सिंह नाम किया जाना उचित है।

तहसीलदार तारानगर से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में भू.अ.निरीक्षक व पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम औंकारसिंह व ओंकार सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम ओंकार सिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम औंकारसिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई पटवार हल्का मिखाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 502 खसरा सं. 1277/96 तादादी 2.3393 है0, खसरा नं. 1279/415 तादादी 2.8831 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **औंकारसिंह Delete** कर इसके स्थान पर **ओंकार सिंह** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/25....... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)